भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3005

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी

3005. एडवोकेट चन्द्र शेखर :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2025 तक एमएसएमई क्षेत्र में योजनाओं के लाभार्थियों का श्रेणी-वार आंकड़ा क्या है;

(ख) महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के कम प्रतिशत को सुधारने हेतु किये गय उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी खरीद में एससी/एसटी उद्यमी भागीदारी बढ़ाने में, विशेष रूप से नीतिगत अधिदेशों को ध्यान में रखते हुए योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न मंचों पर परामर्श के दौरान सूचित किये गए ऋण देने में भेदभाव के सूचित किये गये मामलों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का वर्गीकरण करने के लिए वर्ष 2020 में निवेश और कारोबार के युग्मित मानदंडों के आधार पर एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया था। तदनुसार, पैन रखने वाले उद्यमों के पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) अर्थात ऐसे उद्यम जिन्हें जीएसटी दायर करने से छूट प्रदान की गई है, को औपचारिक बनाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार देशभर में उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर कुल लाभार्थियों की संख्या 7.22 करोड़ थी।

वर्ष 2025 तक की स्थिति के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र की स्कीमों के लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) एमएसएमई मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के जरिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है जो देशभर में मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में भावी उद्यमियों की सहायता करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करती है।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 (दिनांक 15.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी-वार संख्या नीचे दी गई है:-

	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या					
वित्त वर्ष	**सामान्य**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अल्पसंख्यक**	**महिलाएं**
2020-21	25,144	25,532	7,908	5,497	10,334	27,286
2021-22	31,415	32,752	10,161	7,225	21,667	39,158
2022-23	26,092	32,084	9,142	4,850	12,999	32,626
2023-24	26,874	32,602	10,364	4,681	14,597	36,806
2024-25	15,852	16,987	11,351	7,322	8,196	23,434
2025-26 (दिनांक 15.12.2025 तक)	17,107	22,148	5,203	2,427	5,944	22,922

(ii) एमएसएमई मंत्रालय कोलेटरल सिक्युरिटी और तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना एमएसई को दिए जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है। इस स्कीम में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई को दिए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट के साथ आम तौर पर दिए जाने वाले 75 प्रतिशत छूट की तुलना में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई को दिए जाने वाले ऋण के लिए उन्हें 90 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है।

सीजीएस के अंतर्गत श्रेणी-वार क्रेडिट गारंटियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सीजीटीएमएसई - अनुमोदित गारंटी - सूक्ष्म और लघु श्रेणी						
	सूक्ष्म		**लघु**		**कुल**	
अवधि	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि करोड़ रु. में**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि करोड़ रु. में**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि करोड़ रु. में**
वर्ष 2000 में हुई शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक	79,14,618	4,72,624	35,96,719	4,62,247	1,15,11,337	9,34,871

(iii) पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले **18 पारंपरिक व्यापारों** में संलग्न कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा **दिनांक 17.09.2023** को की गई थी।

स्कीम संबंधी प्रगति : दिनांक 16.12.2025 तक इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- **पंजीकरण** : 5 वर्षों की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए अनुमोदित 30 लाख पंजीकरणों के लक्ष्य की तुलना में इस स्कीम ने अपने कार्यान्वयन के केवल 2 वर्षों के भीतर 30 लाख लाभार्थियों के **लक्ष्य** को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।
- **कौशल प्रदान करना** : 30 लाख पंजीकृत लाभार्थियों में से 23.13 लाख लाभार्थियों ने आधारभूत कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
- **कोलेटरल मुक्त रियायती ऋण** : 5.24 लाख लाभार्थियों को 4,525 करोड़ रुपए के ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) : सरकार ने एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं जैसे:-

i. उद्यम पंजीकरण (यूआर) और उद्यम असिस्ट पोर्टलों (यूएपी) पर महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

ii. महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी वार्षिक खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाना अनिवार्य है।

iii. उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत दिनांक 01.07.2020 को की गई थी जोकि पूर्णतया ऑनलाइन, कागजरहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। पैन संबंधी ब्यौरा रखने वाली इकाइयां उद्यम पर पंजीकरण कर सकती हैं और पैन/जीएसटीएन रहित इकाइयां दिनांक 11 जनवरी, 2023 को शुरू किए गए उद्यम असिस्ट पोर्टल (यूएपी) पर पंजीकरण कर सकती हैं। दोनों पंजीकरण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्कीमों का लाभ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों की सहायता करने के लिए दिनांक 01.12.2022 से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए निम्नलिखित दो प्रावधानों की शुरुआत की गई है:-

क. अन्य के लिए 75 प्रतिशत की तुलना में 90 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज; और

ख. वार्षिक गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट।

v. एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है जोकि एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों तथा ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से 39 प्रतिशत महिलाएं हैं और उन्हें गैर-विशेष श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों की तुलना (25 प्रतिशत तक) में उच्चतर सब्सिडी (35 प्रतिशत) प्रदान की जाती है।

vi. महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय कॅयर विकास योजना के अंतर्गत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' का कार्यान्वयन करता है, जोकि एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है तथा जिसका उद्देश्य कॅयर क्षेत्र में संलग्न महिला कारीगरों के कौशल का विकास करना है।

vii. खरीद और विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की सहभागिता के लिए अन्य उद्यमियों को दी जाने वाली 80 प्रतिशत सब्सिडी की तुलना में महिला उद्यमियों को 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

viii. एमएसएमई मंत्रालय ने 18 व्यापारों में संलग्न महिलाओं सहित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की है।

ix. मंत्रालय ने हैंडहोल्डिंग, मेंटरशिप और क्षमता निर्माण के जरिए महिला उद्यमियों को सतत सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के बारे में मौजूदा और आकांक्षी महिला उद्यमियों के बीच जागरुकता पैदा करने हेतु 'यशस्विनी' जागरुकता अभियान की शुरुआत की है।

(ग) : एमएसएमई संबंध पोर्टल के जरिए खरीद संबंधी कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई से की जाने वाली खरीद वर्ष 2019-20 में 691.43 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 3,731 करोड़ रुपए हो गई है जो सरकारी खरीद में अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमों की बढ़ी हुई सहभागिता को प्रतिबिंबित करता है। यह मंत्रालय नीतिगत अधिदेशों के अनुपालन को और बेहतर बनाने के लिए नियमित आधार पर समीक्षा बैठकों और वेंडर विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(घ) : क्रेडिट सुविधा संबंधी संस्वीकृति सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा उनके आंतरिक दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाने वाला निर्णय है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी निष्पक्ष कार्यप्रणाली संहिता संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

*****